

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

| | | | |
|---------------|--------------|-----------|-------|
| आदेश पत्र सं. | धारा अंतर्गत | ग्राम | तहसील |
| 75/22 | 188 RTA | क. २२/१ | २९३१ |
| वादी | वाद शीर्षक | प्रतिवादी | |
| गुडडीबाई वगै. | बनाम | गोलू वगै. | |

वकील :- ३ भा. ३२२ गोरखपुरी (३०). **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

8/22
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2022 को पेश हो।

22/8/22
आप पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिशति में दिनांक 27/9/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

27/9/22
आप पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिशति में दिनांक 22.11.22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

22/11/22
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी कठ 1 व 2 की ओर से श्री नारायण चाल चौरधिया अभिभाषक का बमालत नाम पेश हुआ, जो 200 कि. किता गण। पत्रावली वाले जवाब दिनांक 10/01/23 को पेश हो।

10/1/23
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रतिवादी द्वारा जवाब कठ का 3022 ब्लेक पेश किया। मिलकी प्रति वकील प्रार्थी को दिवस जाकर 200 कि. किता गण। पत्रावली वाले जवाब का 3022 ब्लेक दिनांक 25/01/23 को पेश हो।

17.9.24

माननीय न्यायाधीश के अग्रिम कार्य में
व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में
दिनांक 8.10.24 को पेश हो।

14
रजिस्ट्रार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छठवा (बारा)

8-10-24 पत्रावली पेश हुई। नकुलाल फरीकेड उद. 1 जकाड ज. पत्र 01 R10 एर द्वारा 151 CLC पेश है जका डी कदम ज. पत्र 01 R10 एर द्वारा 151 CLC अतिमासक उक्त पक्षकाराज हुनी गयी। पत्रावली काटे अउडेक ज. पत्र दिनांक 8.10.24 को पेश है।

21-10-24 अतिमासक जमी (जारी नहीं) द्वारा जर्जल पत्र 01 R10 एर द्वारा 151 CLC इस आशय का पेश किया गया कि उक्त काड में शरी ख. सं. 61/62 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा शरी उक्त ककरवा रद. ककरा में स्थित है जिसके जारी नहीं कत 1 व 2 के पिन 1 पारि एरिस्टिं का हिस्सा 15/22 है जिसके जारी गत कदम खारिडार एरिस्टिं को जारी द्वारा पक्षकारा नही बनाया गया है उक्त शरी शामिली खारिडारी कदम कारन की शरी है जिसके जारी गत द्वारा खारिडार कादर राग द्वारा शरी खरीदी है जकाकि खारिडार शरी करीगल के हिस्से की शरी दल कादराल का कदम कारन था ही नहीं कादराल के हिस्से की शरी दल लड्डुलाल का कदम कारन है जिसके कदम कारन है शरी है जारी गत द्वारा कादराल व लड्डुलाल को पक्षकारा नही बनाया गया है जो पक्षकारा का असमोजन है इस कारण उक्त काड में जारी नहीं 3, 4, 5 एरिस्टिं, कादराल व लड्डुलाल को पक्षकारा बनाया जाना माप्राठर में आवश्यक है जो जारी गत द्वारा पक्षकारा नहीं बनाया गया है जारी नहीं कत 3, एरिस्टिं 4 कादराल, 5 लड्डुलाल को जारी बनाया गया है केस की मोरीदर है कोई जगव नहीं पडेगा। जारी का जर्जल पत्र स्वीकार किया जाने।

~~कदम~~ ज. पत्र के जकाड के कदम कि जारी गत। जारी गत के कदम कारन है के कल जारी नहीं गत के द्वारा ही दखल कदम की जा रही है पूर्व खारिडार के कदम की खारिडारी व कदम की शरी

का हेतु रजिस्ट्रार विभाग में किताबों के लिए एक बड़े
 विरल कारन कारण आ रहा है क्योंकि व लड़खाल
 सह खासदार के बिना कोई कार्य अडोलेष प्राप्त नहीं
 है जो न्याय का वाद प्रेश करे नही गलत जमीन गलत
 को उनके खासदारी की आरंभिक पर केवल जर्नली
 गलत अजामी गलत 1 व 2 द्वारा ही देखल कडानी कर व्यवस्था
 उत्पन्न किताब का रख है इसलिए नही गलत जमीन गलत उन्हें
 न्याय से हकामी विधेयाज्ञा से बाध कराना चाहते है
 जर्मना पर 01 R 10 एवं द्वारा 151 व 161 कोरिण लालामा गौरी

कहा अधिगणक आम प्रकारान छुी गयी
 पत्रावली एवं रिकार्ड का अक्लिकन किताब जमा पत्रावली
 के अक्लिकन है पर लाले आम कि नही गलत अण
 सह खासदार के खिलाफ वाद पर प्रेश किताब गलत
 है। सह खासदार के खिलाफ द्वारा 188 RTA का वाद
 नही चल सकता है नही को प्रेश का न्याय करी
 के नड ही का दावा कला पाठिये था। परहे प्रेश
 का न्याय कराना था। सह खासदारी की प्रेश है पर
 नही कस का सकता कि नही का किताब गलत कडनी
 कारण है उदेष्य सहखासदार का उदेष्य खसरा है
 किताब खसरा है नही अण सहखासदार के बिना उदर
 वाद पर नाले प्रेश नही है नही गलत अण ही
 खासदार को प्रकार नही कसना है एसी स्थिति
 है नही का वाद, नाले प्रेश नही खसरे है कोरिण
 किताब गलत है। पत्रावली केवल अण अण नड -
 नाले नकली के दाखिल इण्टर है।



उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)